प्ररूप सं. 15ज

[197क(1ग) और नियम 29ग]

कर की कटौती के बिना कतिपय प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा जिसकी आयु साठ वर्ष या उससे अधिक की हो धारा 197क(1ग) के अधीन की जाने वाली घोषणा

भाग 1

1. निर्धारिती (घोषणाकर्ता का नाम)	2. निर्धारिती का [1]**[**स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक**]**	3. जन्मतिथि .... (दिदि/मम/ववव)
4. पूर्व वर्ष (पू.व.)जिसके लिए घोषणा की जा रही है	5. फलैट/द्वार/ब्लाक संख्या)	6. परिसर का नाम ....

7. मार्ग/गली/लेन	8. क्षेत्र/अवस्थान	9. नगर/शहर/जिला................	10. राज्य ....
11. पिन	12. ई-मेल	13. टेलीफोन संख्या एसटीडी के साथ और मोबाइल संख्या	

14.(*क*) क्या आयकर अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण हुआ हैः हां...... नहीं......

(*ख*) यदि हां तो अंतिम निर्धारण वर्ष जिसके लिए निर्धारण किया गया है।

15. अनुमानित आय जिसके लिए घोषणा की गई है	16. पूर्व वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें स्तंभ 15 में वर्णित आय को समाविष्ट किया जाना है ....

17. पूर्व वर्ष के दौरान फाइल किए गए इस प्ररूप से भिन्न प्ररूप संख्या 15ज के ब्यौरे, यदि कोई हों ....

फाइल किए गए प्ररूप संख्या 15ज की कुल संख्या	आय की संकलित रकम जिसके लिए प्ररूप संख्या 15ज फाइल किया गया है

18. आय के ब्यौरे जिनके लिए घोषणा फाइल की गई है ....

क्रम संख्यांक	सुसंगत विनिधान/ लेखा की पहचान संख्या आदि	आय की प्रकृति	वह धारा जिसके अधीन कर कटौती योग्य है	आय की रकम

....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

घोषणा/सत्यापन

मैं ..... यह घोषणा करता हूं कि मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अर्थांतगर्त भारत का निवासी हूं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार जो ऊपर कथन किया गया है, वह सही, पूर्ण और सत्य है और इस प्ररूप में निर्दिष्ट आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में समाविष्ट योग्य नहीं है।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मेरी कुल अनुमानित आय पर कर, स्तंभ 15* में निर्दिष्ट *आय/आयों सहित, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार संगणित स्तंभ 17 में निर्दिष्ट *आय/आयों की संकलित रकम निर्धारण वर्ष ..... से सुसंगत..... को समाप्त होने वाले पूर्व वर्षके लिए शून्य होगा।

स्थान : ....

तारीख : ..... घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग 2

(भाग 1 के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भरा जाए)

1. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम		2. विशिष्ट पहचान संख्या
3. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का [2][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	4. पूरा पता	5. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का टैन
6. ई-मेल	7. टेलीफोन संख्या (एसटीडी के साथ) और मोबाइल संख्या	8. संदत्त आय की रकम
9. तारीख जिसको घोषणा प्राप्त की गई (दिन/मास/वर्ष)	10. तारीख जिसको आय का संदाय किया गया/उसे जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)	

स्थान : ....

तारीख : ..... भाग के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

1. धारा 206कक(2) के उपबंधों के अनुसार, धारा 197क(1ग) के अधीन घोषणा तब अविधिमान्य होगी जब घोषणाकर्ता अपना विधिमान्य [2][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

---

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांकग" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. घोषणा किसी ऐसे निवासी व्यष्टि द्वारा, जिसकी पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु है, प्रस्तुत की जा सकती है।

3. वह वित्त वर्ष जिससे आय संबंधित है।

4. यदि उस वर्ष, जिसमें घोषणा फाइल की जाती है, से पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों में से किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन कर का निर्धारण किया गया है तो कृपया ''हाँ'' का उल्लेख करें।

5. कृपया पूर्ववर्ती वर्ष, जिसके लिए घोषणा फाइल की जाती है, की कुल अनुमानित आय की रकम का, जिसके अंतर्गत आय की वह रकम भी है जिसके लिए घोषणा की गई है, का उल्लेख करें।

6. यदि कोई घोषणा (घोषणाएं) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इस घोषणा के फाइल किए जाने से पूर्व प्ररूप संख्या 15ज में फाइल की जाती है (हैं) तो आय की संकलित रकम जिसके लिए उक्त घोषणा (घोषणाएं) फाइल की गई है (हैं), के साथ फाइल किए गए ऐसे प्ररूप संख्या 15ज की कुल संख्या का उल्लेख करें।

7. शेयरों, सावधि जमा खाता संख्या, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत स्कीमों, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, कर्मचारी कोड आदि की सुभिन्न संख्या का उल्लेख करें।

8. घोषणा/सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, घोषणाकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि इस प्ररूप में दी गई सूचना सभी बाबत सत्य, सही और पूर्ण है।

   घोषणा में मिथ्या कथन करने वाला कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270 के अधीन अभियोजन का दायी होगा और दोषसिद्ध किए जाने पर—

   (*i*) उस मामले में जहां पच्चीस लाख रुपए से अधिक की कर अपवंचना किए जाने की ईप्सा की गई है वहां कठिन कारावास से जो छह मास से कम का नहीं होगा किंतु सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दंडनीय होगा।

   (*ii*) किसी अन्य मामले में कठोर कारावास से जो तीन मास से कम का नहीं होगा किंतु दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा।

9. भाग 1 के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति वित्त वर्ष की तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी प्ररूप संख्या 15ज में विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करेगा और उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत की गई स्रोत पर कर कटौती विवरणी में आयकर नियम, 1962 केनियम 31क(4)(*vii*) में विहित विशिष्टियों के साथ इस संदर्भ संख्या की रिपोर्ट करेगा। यदि उसी तिमाही के दौरान व्यक्ति ने प्ररूप संख्या 15छ भी प्राप्त किया है तो कृपया प्ररूप संख्या 15ज और प्ररूप संख्या 15छ के लिए क्रम संख्यांक की पृथक क्रम आवंटित करें।

10. भाग 1 के स्तंभ 15 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति घोषणा वहां स्वीकार नहीं करेगा जहां धारा 197क(1ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की रकम और या उस पूर्व वर्ष, जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जाती है, के दौरान जमा की गई या संदत्त या जमा की जाने के लिए संभाव्यताया संदाय किए जाने के लिए संभाव्यता ऐसी आय का योग उस अधिकतम रकम से अधिक है जो कर से प्रभार्य नहीं है। पात्रता का विनिश्चय करने के लिए उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्तंभ 15 या 17 में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई, यथास्थिति, आय या आयों की सकल रकम का सत्यापन करे:

   [2][**परंतु** *ऐसा व्यक्ति उस मामले में घोषणा को स्वीकार करेगा जहां निर्धारिती की आय, जो धारा 87क के अधीन आयकर की छूट के लिए पात्र है उस आय से उच्चतर है जिसके लिए इस टिप्पण के अनुसार घोषणा स्वीकार की जा सकती है, किन्तु उक्त धारा 87क के अधीन उसे उपलब्ध छूट को ध्यान में रखने के पश्चात् उसका कर दायित्व कुछ नहीं होगा।*]

---

2. आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2019 द्वारा 22.5.2019 से अंतःस्थापित।